सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 249/2019 दायर दिनाँक 24.10.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. खींजर हयात खांन पुत्र अब्दुल अलीम खांन जाति शेरानी निवासी शेरानी आबाद तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री गनी मोहम्मद वकील वादी

दिनाँक 19.12.2019

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वाके सरहद शेरानी आबाद के खसरा सं0 381 रकबा 04.16 बीघा, खसरा सं0 417 रकबा 06.03 बीघा, खसरा सं0 1026 रकबा 17.19 बीघा कुल रकबा 28.18 बीघा में अवस्थित हैं

उपरोक्त खसरान में सहवन से वादी का नाम अब्दुल खीजर हयात खां पुत्र अब्दुल अलीम खां कौम शेरानी की जगह गत समय से खीजर हैयद पुत्र अब्दुल अलीम रेकर्ड में चला आ रहा हैं जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम खीजर हयात खां ही रहा व इसी अनुरूप वादी का नाम खातेदारी में आना था। लेकिन सहवन से वादी का नाम खीजर हयात खां की जगह खीजर हैयद अंकित हो रखा है। वादी के समस्त दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, सर्विस आई0डी0 कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट में खीजर हयात खां पुत्र अब्दुल अलीम खां नाम दर्ज हैं तथा सरहद डाबगांव के खसरा सं0 513 रकबा 4.97 हैक्टयर व खसरा सं0 679 रकबा 1.53 हैक्टर में वादी का नाम खीजर हयात खां दर्ज है।

प्रार्थना वादी है कि सरहद शेरानी आबाद के खसरा सं0 381 रकबा 04.16 बीघा, खसरा सं0 417 रकबा 06.03 बीघा, खसरा सं0 1026 रकबा 17.19 बीघा कुल रकबा 28.18 बीघा में वादी का नाम खीजर हैयद को रेकर्ड से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 249/2019
दायर दिनाँक 24.10.2019, निर्णय दिनाँक 19.12.2019
खींजर हयात खांन बनाम तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

हटाया जाकर वादी का सही नाम खीजर हयात खां पुत्र अब्दुल अलीम खां घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद फरमावें।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, डीडवाना ने अपने पत्रांक रीडर/कोर्ट/19/24 दिनांक 18.12.2019 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार मौजा शेरानी आबाद के खसरा सं0 381, 1026, 417 में वादी नाम खींजर हयात खान के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि से खीजर हैयद अंकित हो गया है। वादी का सही नाम खींजर हयात खांन है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम खीजर हयात खां दर्ज किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री वाके सरहद वाके सरहद शेरानी आबाद के खसरा सं0 381 रकबा 04.16 बीघा, खसरा सं0 417 रकबा 06.03 बीघा, खसरा सं0 1026 रकबा 17.19 बीघा कुल रकबा 28.18 बीघा में वादी का नाम खीजर हैयद पुत्र अब्दुल अलीम खां के स्थान पर खीजर हयात खां पुत्र अब्दुल अलीम खां दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **19.12.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 249/2019 दायर दिनाँक 24.10.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. खींजर हयात खांन पुत्र अब्दुल अलीम खांन जाति शेरानी निवासी शेरानी आबाद तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 19.12.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री गनी मोहम्मद वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा सरहद सरहद शेरानी आबाद के खसरा सं0 381 रकबा 04.16 बीघा, खसरा सं0 417 रकबा 06.03 बीघा, खसरा सं0 1026 रकबा 17.19 बीघा कुल रकबा 28.18 बीघा में वादी का नाम खीजर हैयद पुत्र अब्दुल अलीम खां के स्थान पर खीजर हयात खां पुत्र अब्दुल अलीम खां दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बावत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें। वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.12.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.01.02 14:56:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: